राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

पत्रांक :– एफ 1(1)(3)आप्र एवं सहा/सामान्य/2009/ 1929-56 जयपुर दिनांक 7/2/09

जिला कलेक्टर,
अजमेर,बाड़मेर,बीकानेर,भीलवाड़ा,डूँगरपुर,जैसलमेर,
जालौर,जोधपुर,नागौर,पाली,राजसमन्द एवं सिरोही

विषय :– सम्वत् 2065 में अभावग्रस्त क्षैत्र के असहाय व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने बाबत ।

सम्वत् 2065 में अधिसूचना कमांक 1805–45 दिनांक 6.2.09 द्वारा अभावग्रस्त घोषित गांवों के असहाय व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. अनुग्रह सहायता अभावघोषणा की तिथी के उपरान्त अधिकतम 60 दिन के लिए स्वीकृत की जावेगी।
2. अनुग्रह सहायता के पात्र व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रति वयस्क 20/–रूपये एवं प्रति बच्चे को 15/–रूपये प्रति दिन स्वीकृत की जावेगी ।
3. यह सहायता निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को दी जा सकेगी :–
   (अ)ऐसे असहाय, वृद्ध, कमजोर, अपहिज व्यक्ति, अनाथ बच्चे, गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति जो स्वंय की आजीविका अर्जित करने में सक्षम नही है तथा किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है ।
   (ब)निर्धनता की रेखा के नीचे के परिवार की ऐसी गर्भवती महिला जो राहत कार्य करने में सक्षम नहीं है ।
4. किसी भी योजना में पेंशन पाने तथा किसी भी अन्य योजना में सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुग्रह सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।
5. जिला कलेक्टरों द्वारा अनुग्रह सहायता हेतु कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर यह सहायता स्वीकृत की जावेगी ।

7/2/09
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, मां0 मुख्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर
2. निजी सचिव, मां0 आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,(विकास)।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री प्रथम एवं द्वितीय
7. प्रमुख शासन सचिव, वित्त
8. मुख्य लेखाधिकारी, आप्र एवं सहायता विभाग
9. सांख्यिकी अधिकारी, आप्र. एवं सहायता विभाग।

शासन उप सचिव